Issued from R-11 03/04/2020

संख्या–222/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक 03 अप्रैल, 2020

विषय–उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश कोविड केयर फण्ड नियमावली 2020 में व्यवस्था की गयी है कि इस फण्ड के संचालन हेतु राजस्व विभाग द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक फ्लैक्सी डिपाज़िट बचत खाता खोला जायेगा, जो राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं वित्त नियंत्रक, राहत आयुक्त कार्यालय के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा।

वर्तमान में राहत आयुक्त कार्यालय में वित्त नियंत्रक स्तर के किसी अधिकारी की तैनाती नहीं है। अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त फण्ड को संचालित करने के लिए किसी वित्त नियंत्रक स्तर के अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

03/4/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner